शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या– 169 / सत्तर–3–2022–08(20) / 2020

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 22 जनवरी, 2022**

विषयः– कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न पत्र संख्या–132 / 2022–सीएक्स–3 दिनांक 22 जनवरी, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–133 / सत्तर–3–2022–08(20) / 2020, दिनांक 16.01.2022 के माध्यम से कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 23.01.2022 तक बन्द रखने, पठन–पाठन का कार्य ऑनलाइन संचालित किये जाने एवं पूर्व से निर्धारित / गतिमान परीक्षायें यथावत् संचालित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान को निम्नानुसार संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

I. समस्त उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 30.01.2022 तक बन्द रहेंगे।
II. शिक्षण संस्थानों में पठन–पाठन का कार्य ऑनलाइन रूप से संचालित किया जायेगा।
III. संस्थानों में पूर्व से निर्धारित / गतिमान परीक्षायें यथावत संचालित होती रहेंगी। परीक्षाओं के दौरान कोविड–19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

22/1/22

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या–: 169 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।

2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।

3– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।

5– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल सादव)

अनु सचिव।

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक: लो0अ0वि0/कु.स.का./2022–903 दिनांक 23 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
3. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

VNSingh

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

संख्या– 132 /2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2022**

विषयः–कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध मे गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–100/2022–सीएक्स–3, दिनांक 16.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में उक्त संदर्भित आदेश के बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 23.01.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षायें जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरात यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 30.01.2022 तक बन्द रहेंगे परन्तु ऑन लाइन कक्षाये यथावत् जारी रहेंगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–132 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner